कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज.)

क्रमांकः ननिको(उ)/गैरीज/2024/414-29 दिनांक :- 18/9/24

ई–निविदा सूचना

नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा नगर निगम कोटा उत्तर के संविदा पर 04 इनोवा वाहन उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से वेब साईट https://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.स.	विवरण	दिनांक
1.	निविदा डाउनलोड करने की तिथि	23.09.2024 11 AM
2.	निविदा अपलोड करने की तिथि	04.10.2024 6 PM
3.	ई.एम.डी./निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस के डी. डी. प्राप्त करने की तिथि	– 07.10.2024 12 PM
4.	निविदा/तकनीकी बिड खोलने की तिथि	07.10.2024 2 PM
5.	वित्तिय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड परीक्षण पश्चात्

क्र.स.	कार्य का नाम	राशि (लाखों में)	धरोहर राशि	प्रोसेसिंग फीस	निविदा शुल्क	कार्य अवधि
1.	संविदा पर इनोवा क्रिस्टा कार उपलब्ध कराने का कार्य। (मॉडल 2020 से पूर्व का मान्य नहीं)	33.60	67200.00	500.00	2500.00	12 माह

1. निविदा से सम्बधित समस्त विवरण https://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, पर देखा जा सकता हैं।

2. प्रोसेसिंग शुल्क, निविदा शुल्क, धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाईन निगम की वेबसाईट www.Kotamc.org पर कर उसकी रसीद ऑनलाईन तकनीकी निविदा प्रपत्र में सलंग्न करनी होगी।

3. निविदा शुल्क व प्रोसिंग फीस वापस नहीं (Non Refundable) दिया जाएगा। धरोहर राशि वित्तिय बिड में असफल संवेदक का वापस किया जायेगा।

उपायुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर
दिनांक 18/9/24

क्रमांक :– ननिको(उ)/गैरिज/2024/414-29

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् महापौर महोदय, नगर निगम कोटा उत्तर।
2. श्रीमान् उप–महापौर महोदय, नगर निगम कोटा उत्तर।
3. श्रीमान् नेता प्रतिपक्ष महोदय नगर निगम कोटा उत्तर।
4. अति0 महोदय नगर निगम कोटा उत्तर।
5. उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय) नगर निगम कोटा उत्तर।
6. मुख्य अभियन्ता नगर निगम कोटा उत्तर।
7. अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम कोटा उत्तर।
8. मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम कोटा उत्तर।
9. अधिशाषी अभियंता (गैराज) नगर निगम कोटा उत्तर।
10. सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) नगर निगम कोटा उत्तर।
11. समस्त अनुभागाधिकारी, नगर निगम कोटा को सूचनार्थ।
12. सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता (गैराज) नगर निगम कोटा
13. पुस्तकालय अध्यक्ष को भेजकर लेख है, कि उक्त निविदा का प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्रों में आज ही प्रकाशित करावें।
14. प्रभारी,हेल्पलाईन/ओसवाल डाटा प्रोसेसर/एन.आई.सी./कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन ,नगर निगम–कोटा।
15. अति0 प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य) नगर निगम कोटा उत्तर।
16. सुरक्षित पत्रावली,नगर निगम कोटा।

उपायुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज0)

संविदा पर इनोवा क्रिस्टा कार उपलब्ध कराने हेतु निविदा की सामान्य शर्तें :-

1. नगर निगम कोटा उत्तर के कार्यों हेतु वाहन इनोवा क्रिस्टा उपलब्ध कराने के कार्य हेतु अनुभवी योग्य एवं प्रतिष्ठित वाहन स्वामियों/ट्रेवल एजेन्सियों/प्रतिष्ठित फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. संवेदक को इस कार्य हेतु मांग अनुसार संख्या में इनोवा क्रिस्टा 1 वर्ष के लिए उपलब्ध करवानी होगी।
3. वाहनों का मॉडल 2020 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
4. निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस निगम की वेबसाईट www.Kotamr.org पर जमा करवानी होगी एवं उसकी रसीद ऑनलाईन तकनीकी बिड में अपलोड करनी होगी इसके अभाव में असफल किया जाएगा।
5. निविदादाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है। पेन कार्ड व जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।
6. संवेदक वित्तिय रूप से सक्षम होना चाहिए।
7. संवेदक का नगर निगम, कोटा के किसी भी मेयर/पार्षद/ अधिकारी /कर्मचारी के परिवार से रक्त संबंध नहीं होने का शपथ-पत्र नोटेरी प्रमाणित। (100/- रू0 नॉन ज्यूडि्शियल) प्रस्तुत करना होगा।
8. संवदेक को विगत 03 वर्ष में स्वयं की फर्म डी-बार/ब्लैक लिस्ट न होने का शपथ पत्र नोटेरी प्रमाणित (100/- रू0 नॉन ज्यूडि्शियल) प्रस्तुत करना होगा।
9. संवेदक द्वारा लगाये गए वाहन चालक अनुशासित, समय पाबन्द, मृदुभाषी होगें। उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण करने पर गैरीज प्रभारी के निर्देश पर उपयुक्त चालक को बदलना होगा। इस शर्त की पालना नहीं करने पर शर्तों का उल्लघंन माना जायेगा। रू 500/- प्रति घटना की दण्ड शास्ती राशि काट ली जायेगी। वाहन चालक के विरूद्व मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा लम्बित नहीं होना चाहिए एवं आमजन व निगम कर्मचारियों के साथ शालीनता से व्यवहार करें। संवेदक द्वारा उपलब्ध वाहन चालका का कार्य कुशल न होने पर निगम के निर्देशानुसार वाहन चालक को बदलना होगा।
10. वाहनों के लिए ईंधन डीजल/ऑयल एवं मरम्मत के कार्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
11. संवेदक द्वारा उपलब्ध वाहन चालक से दुर्घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। ट्रेफिक नियमों की अवहेलना करने पर किसी भी तरह से चालान के लिये संवेदक/वाहन चालक जिम्मेदार होगा।

12. वाहन चालक दक्ष एवं प्रशिक्षित तथा उपयुक्त श्रेणी का वैद्य लाईसेन्सधारी लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति गैरीज अनुभाग में जमा कराना आवश्यक है। किसी भी तरह की शासकीय या आर्थिक हानि के लिए निविदादाता जिम्मेदार होगा।

13. कार्य समय में कार्य स्थल पर जाते समय या कार्य करते समय किसी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक घटना/दुर्घटना से जनसाधारण या श्रमिकों के घायल होने/मृत्यु होने आदि पर सभी प्रकार का उत्तदायित्व संवेदक को होगा। नगर निगम की किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर विधिक या अन्य रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

14. संवेदक प्रत्येक माह के बिल आगामी माह की 15 तारीख तक भुगतान हेतु वाहन उपयोगकर्ता से प्रमाणित करा कर प्रभारी गैरीज नगर निगम कोटा उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत करना करेगा। 15 तारीख तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ती 100 रू0 प्रति दिन काटी जायेगी।

15. त्यौहार/उत्सव, विशिष्ठ व्यक्तियों के आगमन पर एवं विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे वाहन को कार्य पर बुलाया जा सकेगा।

16. निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नहीं रखता है उक्त स्थिति में निविदादाता को निरस्त माना जायेगा।

17. जानबूझर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो उक्त स्थिति में निविदादाता को निरस्त माना जायेगा।

18. समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम कोटा उत्तर उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्विपत्र/संशोधन ई–प्रोक्योरमेन्ट/एसपीपीपी पोर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम कोटा उत्तर उत्तरदायी नहीं है।

19. नगर निगम कोटा उत्तर स्वीकार करने, अस्वीकार, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

20. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

21. सफल निविदादाता द्वारा 1 वर्ष क कार्य अवधि सफलापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का नगर निगम में बकाया नहीं होने के पश्चात प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जावेगी।

22. निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली की जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 तक की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

23. निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 GF & AR तथा वित्त विभाग के सभी नियमों तथा परिवर्तन लागू होगें

24. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र निगम होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।
25. किसी भी विवाद में आयुक्त महोदय नगर निगम कोटा उत्तर का निर्णय मान्य होगा।
26. वाहन चालक को निगम क्षेत्र में तथा सीमा से बाहर जाने पर किसी भी प्रकार का टी.एस. या डी. ए. एवं अन्य भत्ते निगम की ओर से देय नहीं होगें।
27. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
28. सफल संवेदक को निविदा प्रपत्र मे प्रतिभूति राशि की 3 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के (बैंक गारन्टी F.D.R.) रूप में जमा कराया जाना आवश्यक है।
29. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्यदिवस शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
30. सफल संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये वाहनों की प्रतिदिन लॉगबुक का संधारण चालक द्वारा किया जाना आवश्यक है, लॉगबुक संधारण की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
31. निविदा की अवधि आगामी निविदा की अवधि तक मान्य होगी।
32. नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
33. नगर निगम द्वारा बैंक गारन्टी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारन्टी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।
34. प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी।
35. किसी भी निविदा कों बिना कारण बताये अस्वीकृत/स्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर को होगा।
36. संवेदक को निविदा में मांगे गये सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर संवेदक की तकनीकी बिड को निरस्त माना जावेगा।
37. संवेदक द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बिड परीक्षण के पश्चात सफल होने पर संवेदक की वित्तिय बिड खोली जावेगी।
38. संवेदक द्वारा लिफाफे पर फर्म का नाम, पता, कार्य का नाम, निविदा सूचना आदि अंकित कर प्रस्तुत करने होगें।
39. संवेदकों की दर समान प्राप्त होने पर निर्णय सम्पूर्ण पारदर्शिता को अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
40. संवेदक को वाहन निगम को मांग अनुसार किसी भी परिस्थिति, रात्रि के समय, आपालकालीन, सप्ताह की किसी भी दिन, राजकीय अवकाश व पर्व पर उपलब्ध कराने होगें।

41. वाहन चालक द्वारा संबंधित उपयोगकर्त्ता द्वारा लॉगबुक एंव बिल का प्रमाणीकरण प्रतिमाह करवाकर गैरिज पूल अनुभाग में देना होगा।

42. संवेदक द्वारा वाहनों के लिए पर्दे/तोलियां इत्यादि सप्ताह में दो बार साफ सुथरे अवस्था में बदलवाने होगें

43. वाहन चालक द्वारा वाहन का ए. सी. आगमन से वाहन के निर्गमन तक ए. सी. चलाना अनिवार्य है ए. सी. नहीं चलाने पर सक्षम अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार भुगतान में 500/– प्रति अवसर के अनुसार कटौती की जावेगी।

44. संवेदक को वाहन की रजिस्ट्रेशन की कॉपी, बीमा, प्रदूषण, फिटेनस सर्टिफिकेट इत्यादि की वैद्य प्रतियों की वाहन लगाने से पूर्व गैरिज पूल अनुभाग में जमा करानी होगी।

45. संवेदक द्वारा वित्तिय बिड में दर समस्त कर सहित अंकित करनी होगी।

46. दरे प्रतिमाह वाहन मय ईंधन/ऑयल मय चालक तथा सम्पूर्ण व्यय सहित होगी।

47. वाहन टैक्सी परमिट होना अतिआवश्यक है एवं इसके अभाव में वाहन नहीं लगाया जावेगा।

48. वाहन की मरम्मत हानि दुर्घटना एवं टूट–फूट आदि की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।

49. वाहन 2000 कि0मी0 से अधिक चलने पर सक्षम स्वीकृति के उपरान्त नियमानुसार भुगतान कर दिया जायेगा।

50. संतोषजनक सेवायें प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार कटौती का प्रावधान है।

51. वाहन पूरे माह उपलब्ध कराना होगा अनुपस्थिति की स्थिति में समान वाहन उपलब्ध कराना होगा वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर 5000/– प्रति दिवस की शास्ति आरोपित की जावेगी।

52. राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी नियमों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व संवेदक का होगा।

53. आवश्यकतानुसार/मांग अनुसार वाहनों की सख्या घटाई व बढाई जा सकती है।

54. संवेदक द्वारा 100/– रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वाहन पर लगने वाले वाहन चालाकों के ईपीएफ व ईएसआई राशि, ईपीएफ एवं ईएसआई श्रम विभाग में जमा कराने का उत्तरदायित्व स्वंय (ठेकेदार) का होगा।

55. तकनीकी बिड अपलोड होने के पश्चात् 48 घण्टे के अन्दर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है उसके पश्चात् आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

नाम :– .... (संवेदक)

फर्म का नाम :– ....

पता :– ....

....

हस्ताक्षर संवेदक मय मोहर ....

उपायुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम : नगर निगम कोटा उत्तर संविदा पर इनोवा क्रिस्टा कार उपलब्ध कराने का कार्य।

फर्म का नाम : ....

क्र.सं.	तकनीकी बिड़ के साथ निम्न दस्तावेज जो संलग्न करने है।	संलग्न हां/नहीं	संलग्न पेज सं0
1	निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के भुगतान निगम की वेबसाईट www.kotamc.org पर जाकर जमा करानी होगी।		
2	निवास के लिये उपरोक्त में से कोई एक (आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता परिचय पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।		
3	संवदेक को विगत 03 वर्ष में स्वयं की फर्म डी–बार/ब्लैक लिस्ट न होने का शपथ पत्र नोटेरी प्रमाणित (100/– रू0 नॉन ज्यूड़िशियल)		
4	संवेदक का नगर निगम, कोटा के किसी भी मेयर/पार्षद/अधिकारी /कर्मचारी के परिवार से रक्त संबंध नहीं होने का शपथ–पत्र नोटेरी प्रमाणित। (100/– रू0 नॉन ज्यूड़िशियल)		
5	वस्तु एवं सेवा कर (GST)		
6	आयकर (पैन नम्बर)		
7	पी0 एफ0 & ई0एस0आई0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र		

हस्ताक्षर संवेदक

अधिशाषी अभियंता
नगर निगम, कोटा उत्तर

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज0)

–: वित्तीय बिड़ :–

कार्य का नाम :– नगर निगम कोटा उत्तर संविदा पर इनोवा क्रिस्टा कार उपलब्ध कराने का कार्य।

कार्य की अवधि :– 12 माह

अनुमानित व्यय :– 33.60 लाख

संवेदक का नाम/पता :– ....

....

....

मोबाईल नं. :– ....

क्र.स.	वस्तु/कार्य का नाम	तादाद	दर प्रतिमाह/प्रति वाहन/चालक G.S.T. सहित (ईंधन/ऑयल)
1	संविदा पर इनोवा क्रिस्टा कार उपलब्ध कराने का कार्य। (अधिकतम 2000 कि0मी0)	4	BOQ ---------------- में प्रस्तावित करें

मेरे द्वारा सलंग्न शर्तों/निर्देशों को भली भांति अध्यन कर लिया गया है और में उक्त शर्तों पर कार्य करने में सहमत हूँ एवं समस्त शर्तों का पालन करूगां/करूगीं।

हस्ताक्षर व मोहर निविदादाता